निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1947 (श0)

(सं0 पटना 68) पटना, मंगलवार, 20 जनवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
15 जनवरी 2026

सं० एसीस–01/नि०–41/2014–55—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "**बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016**" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–

(1) यह नियमावली "**बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026**" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–2 (iii) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम–2 (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार तकनीकी सेवा आयोग";"

3. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–4 का प्रतिस्थापन– उक्त नियमावली के नियम–4 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"**4. संवर्ग का पदसोपान।**– (i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी–

क्र०	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	परिधापक	अराजपत्रित
2	प्रथम सोपान	वरीय परिधापक	अराजपत्रित
3	द्वितीय सोपान	परिधापक पर्यवेक्षक	अराजपत्रित

(ii) इस संवर्ग के सभी कोटियों का कुल स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(iii) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी सवंर्ग में स्वतः सम्मिलित समझे जायेंगे।"

4. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–6 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"**6. अर्हताएँ।**– इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ स्वास्थ्य विभाग के "बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली 2024 (समय–समय पर यथासंशोधित)" में परिधापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अहर्ताएँ के समरूप होंगी।

5. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–7 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम–7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा–

"**7. भर्त्ती की प्रक्रिया।**– इस संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के "बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली 2024 (समय–समय पर यथासंशोधित)" में परिधापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के समरूप होगी।

6. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम–8 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली के नियम–8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।–

"8. नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगें। परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे परिधापक को सेवामुक्त कर सकेगा।"

7. बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016 के नियम 2 (vi), नियम 13 (1) में प्रयुक्त शब्द "परिशिष्ट–1 में यथा उल्लिखित" एवं परिशिष्ट–1 का विलोपन।– उक्त नियमावली के **नियम 2 (vi), नियम 13 (1) में प्रयुक्त शब्द "परिशिष्ट–1 में यथा उल्लिखित" एवं परिशिष्ट–1** को विलोपित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

15 जनवरी 2026

सं० एसीस–01/नि०–41/2014–56, सं० एसीस–01/नि०–41/2014–55 दिनांक 15 जनवरी 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 15th January 2026

No- ESIS-01/NI-41/2014-55— In excercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.

1. *Short title, extent and commencement:-*

(1) These 'Rules' may be called the **"Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Amendment) Rules, 2026"**

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. *Substitution of rule-2 (iii) of the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—Rule 2 (iii) of the said Rules shall be substituted by the following:-

"(iii) 'Commission' means the Bihar Technical Service Commission;"

3. *Substitution of rule-4 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—rule-4 of the said rules shall be substituted by the following:-

"**4.** *Hierarchy of the Cadre.*— (a) The structure of this cadre will be as follows-

S. No.	Category	Designation	Remarks
1	Basic Category	Dresser	Non-Gazetted
2	First ladder for promotion	Senior Dresser	Non-Gazetted
3	Second ladder for promotion	Dresser Supervisor	Non-Gazetted

(b) The total sanctioned strength and pay scale/pay level of all categories of this cadre will be the same as determined by the Government from time to time.

(c) The employees appointed and working regularly before the coming into force of these rules will be considered automatically included in the cadre."

4. *Substitution of rule-6 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—rule-6 of the said rules shall be substituted by the following:-

"**6.** ***Qualifications.***—The qualifications for appointment to this cadre shall be the same as those prescribed for appointment to the post of Dresser in the Health Department's "Bihar Dresser Cadre Rules 2024 (as amended from time to time)."

5. *Substitution of rule-7 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*— rule-7 of the said rules shall be substituted by the following:-

"**7.** ***Procedure of Recruitment.***—The recruitment process in this category will be similar to the procedure prescribed for appointment to the post of Dresser in the Health Department's "Bihar Dresser Cadre Rules 2024 (as amended from time to time)."

6. *Substitution of rule-8 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—rule-8 of the said rules shall be substituted by the following:-

"8. After appointment, the candidates will be on probation. The probation period will be of one year. If the service is not found satisfactory during the probation period, it may be extended for one more year for reasons to be recorded. If the service is not found satisfactory even in the extended period, the appointing authority may discharge such Dresser from service."

7. *Deletion of the words "as mentioned in Appendix-1" in Rule-13(I) and Rule 2 (vi) and Appendix-I of the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service) Cadre Rules, 2016.*—The Rule-2(vi) and Appendix-I in the said rules be deleted & the word "as mentioned in Appendix-I" in Rule-13(I) be deleted.

By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 68-571+50-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निदेशालय चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, 5–बी, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

ज्ञाप संख्या–एसीस–01/नि०–41/2014 - 177 पटना, दिनांक– 20-02-2026

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार